योजना का नाम	मृत्योपरान्त अर्थिक सहायता
लाभ	रू0 2 लाख (सामान्य मृत्यु होने पर) रू0 04 लाख (दुर्घटना से कारित मृत्यु की दशा में)

पात्रता/लाभार्थी

उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के आश्रितों को, जिनके नाम आश्रित के रूप में श्रमिक कार्ड में उल्लिखित हो।

आवेदन प्रकिया एवं चयन प्रकिया

आनलाइन आवेदन श्रमिक सुविधा केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है, ऑनलाईन आवेदन पंजीकृत निर्माण श्रमिक के नामित आश्रित द्वारा किया जाएगा, जिसका नाम श्रमिक के श्रमिक कार्ड में उल्लिखित हो, श्रमिक की मृत्यु की तिथि से 01 साल के अन्तर्गत आवेदन करना अनिवार्य है। आवेदन के दौरान स्वघोषणा प्रमाण पत्र, मृतक श्रमिक का श्रमिक कार्ड, आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, दुर्घटना होने की स्थिति में, दुर्घटना संबंधी प्रमाण, आश्रित का आधार कार्ड एवं बैंकखाता विवरण संलग्न करना होगा तथा किसी अन्य योजना से यह लाभ प्राप्त न किये जाने का शपथ पत्र भी लगाना होगा। विभागीय जांच/परीक्षण में सही पाये जाने पर, आर्थिक सहायता मिल जाती है।

4- नियोजन (कार्य के दौरान) दुर्घटना में मृत्यु होने पर 4,00,000 तथा सामान्य मृत्यु होने की दशा में मृतक कर्मकार के नामितों/आश्रितों को 2,00,000 की आर्थिक सहायता। **(उक्त लाभ हेतु निर्माण श्रमिक के आश्रित/नामिती द्वारा मृत्यु की तारीख से 02 माह के भीतर सचिव कल्याण बोर्ड के कार्याल्य में श्रम प्रवर्तन अधिकारी/पंजीकरण अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।)**